50

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।

आदेश संख्या : 93 /2025, दिनांकित : अप्रैल 17 , 2025

प्रशासनिक आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित पत्रांक 4379/Admin.(E-I) Section/XC-4/2025, Allahabad, दिनांकित 11.04.2025 के माध्यम से जनपद न्यायालय में दिनांक 14.04.2025 को डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है तथा उक्त अवकाश के स्थान पर किसी एक चतुर्थ शनिवार को न्यायिक कार्य के सम्पादन हेतु न्यायालय खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस अधिष्ठान में पूर्व पारित आदेश संख्या 11/2025, दिनांकित 15.01.2025 के माध्यम से डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर दिनांक 14.04.2025 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.04.2025 को डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर अवकाश घोषित किये जाने की दशा में दिनांक 14.04.2025 को पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर दिनांक 12.05.2025 को बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देश के अनुपालन में माह अक्टूबर, 2025 के चतुर्थ शनिवार, दिनांक 25.10.2025 को जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद के समस्त न्यायालय/कार्यालय न्यायिक कार्य सम्पादन हेतु खोले जायेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय को तद्नुसार सूचना प्रेषित की जाये। आदेश की प्रति जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार/जिला कारागार/बाल सम्प्रेक्षण गृह जखा, जिला बार एसोसियेशन, अधिवक्ता संघ, फतेहगढ़, समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन, नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु, जनपद न्यायालय के समस्त न्यायालय/कार्यालय व अन्य सम्बन्धित को सूचनार्थ प्रेषित हो।

Vinay Kumar 17/4/25

(विनय कुमार-III)
जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।